# लखनऊ: ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा का अधिकारियों को निर्देश, उद्योगों को इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में छूट देने की प्रक्रिया को बनाएं सरल

अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: अनुराग सक्सेना Updated Thu, 21 Oct 2021 10:39 PM IST

**सार**

ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने उद्योगों को इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में छूट देने की प्रक्रिया को सरल बनाने पर जोर दिया है। उन्होंने विद्युत सुरक्षा निदेशालय को एक माह में इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी से संबंधित करीब 250 लंबित मामलों को निस्तारित करने को कहा है।

उत्तर प्रदेश के बिजली मंत्री श्रीकांत शर्मा - फोटो : ट्विटर

## विस्तार

ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने उद्योगों को इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में छूट देने की प्रक्रिया को सरल बनाने पर जोर दिया है। उन्होंने विद्युत सुरक्षा निदेशालय को एक माह में इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी से संबंधित करीब 250 लंबित मामलों को निस्तारित करने को कहा है।

ऊर्जा मंत्री ने ये निर्देश गुरुवार को शक्ति भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये वाराणसी व चंदौली के औद्योगिक व वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के साथ बिजली आपूर्ति की समीक्षा करते हुए सभी बिजली कंपनियों के प्रबंध निदेशकों को दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों में लगातार बढ़ रहे निवेश व मांग के अनुरूप सुविधाएं बढ़ाने पर ध्यान दिया जाए। उन्होंने पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन को इसकी निगरानी व नियमित समीक्षा करने को कहा।

ऊर्जा मंत्री ने कहा कि उपभोक्ताओं को शिकायत लेकर विभाग के चक्कर न काटने पड़ें। अधिकारी औद्योगिक व वाणिज्यिक क्षेत्रों की नियमित पेट्रोलिंग स्वयं करें। बढ़ती मांग के अनुरूप आवश्यक क्षमता वृद्धि की जाए। उन्होंने कहा कि शटडाउन की सूचना औद्योगिक व वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को पहले से दी जानी चाहिए।